

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/952/

दिनांक- 27/03/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं.952 / 2023 अनवान गोपाल पुत्र भागुता का मीणा निवासी देवा की झोपड़ियां, चांदनी पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल मीणा निवासी देवा की झुपड़िया, प्रेम पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी देवा की झोपड़ियां, बंसी पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी देवा की झोपड़ियां, भज्जा पुत्र भागुता मीणा निवासी देवा की झोपड़ियां, महावीर पुत्र भागुता मीणा निवासी देवा की झुपड़िया, शंकर लाल पुत्र चित्रा मीणा निवासी देवा की झुपड़िया,सरिता पुत्री मांगीलाल मीणा निवासी देवा की झुपड़िया बनाम नारायण पुत्र जवारा मीणा निवासी देवा की झुपड़िया, तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा प. ह. टीटोड़ा आराजी नम्बर 550/3, 634/1, 635/2 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.3760 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

गोपाल पुत्र भागुता का मीणा निवासी निवासी देवा की झुपडिया
बनाम

नारायण पुत्र जवारा मीणा निवासी निवासी देवा की झुपडिया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 952 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
27-03-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा प. ह. टीटोड़ा आराजी नम्बर 550/3, 634/1, 635/2 हेक्टेयर कुल कित्ता 3 रकबा 2.3760 हेक्टेयर स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा प. ह. टीटोड़ा आराजी नम्बर 550/3, 634/1, 635/2 हेक्टेयर कुल कित्ता 3 रकबा 2.3760 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 27/03/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)